

Business Standard 3 July, 2018

BANSWARA SYNTAX LIMITED

CIN: L24302RJ1976PLC001684

Regd. Office: Industrial Area, Dahod Road, P.B. No. 21, Banswara (Raj.)

Ph. No.: 02962- 240690, 257679 – 681, Fax: 02962- 240692

Website: www.banswarasyntax.com, Email: secretarial@banswarasyntax.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF THE DIVIDEND AND EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

This Notice is given to the shareholders of the Company pursuant to Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs as amended from time to time ("IEPF Rules").

In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ["the Act"] read with the IEPF Rules, in addition to the unpaid or unclaimed dividend which is required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF"), equity shares relating to such unpaid / unclaimed dividend and lying as such for seven consecutive years or more are also required to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority.

The Company has already sent a communication to the concerned shareholders at their address registered with the Company, inter alia, providing the details of their unpaid/ unclaimed dividend for 7 consecutive years and giving them an opportunity to claim the said unpaid/unclaimed dividend latest by 9th August, 2018 to avoid transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority.

In terms of Rule 6 of IEPF Rules, a statement containing details of the name(s) of the shareholder(s) and their Folio number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority is available on our website www.banswarasyntax.com for information and necessary action by the shareholder(s).

Please note that the due date for claiming dividend for financial year 2010-11 is 9th August, 2018. All concerned shareholder(s) are requested to make an application to the Company/ the Company's Registrar and transfer Agent, with a request for claiming unencashed or unclaimed dividend for the year 2010-11 and onward to enable processing of claim before the due date.

In case no valid claim in respect of such equity shares is received from the shareholders by 9th August, 2018, the said equity shares shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please note that:-

- i. *In case you hold shares in physical form:* Duplicate share certificate(s) will be issued and subsequently will be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such duplicate share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and be deemed to be bad delivery.
- ii. *In case you hold shares in electronic form:* The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participants without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPF pursuant to IEPF Rules. Upon transfer to the Demat Account of IEPF Authority, the shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online application, for which the details are available at www.iepf.gov.in.

In case of any queries/clarifications, the concerned shareholders may contact the Company's Registrar & Transfer Agent quoting their Folio No./Demat Account No. at:

COMPUTECH SHARECAP LIMITED,
147, Mahatma Gandhi Road, Fort, Mumbai- 400001
Phone No. 022-22635000/5001, E-mail: helpdesk@compu-techsharecap.in

For Banswara Syntax Ltd.
Sd/-

Place : Banswara
Date : 30th June, 2018

HP Kharwal
COMPANY SECRETARY

दैनिक भास्कर मंगलवार 3 जुलाई, 2018

बांसवाड़ा सिन्टेक्स लिमिटेड, बांसवाड़ा

पंजीकृत कार्यालय : औद्योगिक क्षेत्र, दाहोद रोड, बांसवाड़ा (राज.)

कारपोरेट आडेडीटी नंबर: L24302RJ1976PLC001684

दूरभाष: 02962- 240690, 257679 - 681, फेक्स:02962- 240692

वेबसाइट: www.banswarasyntex.com, ईमेल: secretarial@banswarasyntex.com

शेयरधारकों को सूचना इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरण

यह सूचना कंपनी के शेयरधारकों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियमों, 2016 के अनुसार, जो समय-समय पर संशोधित हैं, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए नियम ("आईईपीएफ नियम")। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) एवं आई इ पी एफ के नियमों के प्रावधानों के अनुसार, अदत्त / बेदावा लाभांश, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई इ पी एफ) में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक है के अतिरिक्त, ऐसे सभी इक्विटी शेयर जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय के लिए अदत्त / बेदावा लाभांश पड़ा है, ऐसे सभी शेयर भी कंपनी द्वारा, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आई इ पी एफ) आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। कंपनी ने पहले ही संबंधित शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर एक सूचना भेजी है, अन्य बातों के साथ, लगातार सात वर्षों के लिए उनके अदत्त / बेदावा लाभांश का ब्योरा प्रदान किया है और उनको अदत्त / बेदावा लाभांश का दावा करने का मौका दिया है। आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के संदर्भ में, एक विवरण जिसमें शेयरधारक (नामों) और उनके फोलियो नंबर / डीपी आईडी-क्लाइंट आईडी के विवरण शामिल हैं, जिनके शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है हमारी वेबसाइट www.banswarasyntex.com पर जानकारी और शेयरधारक द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश का दावा करने की नियत तारीख 9 अगस्त, 2018 है। सभी संबंधित शेयरधारकों को अनुरोध है कि वे कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को अपना दावा करने के लिए आवेदन करें। यदि ऐसे इक्विटी शेयरों के संबंध में 9 अगस्त, 2018 तक शेयरधारकों से कोई वैध दावा प्राप्त नहीं किया जाता है, तो आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इक्विटी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इस संबंध में, कृपया ध्यान दें कि: 1. यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं: डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र (एस) जारी किए जाएंगे और बाद में आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट अकाउंट को बिना किसी सूचना के स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र के जारी होने पर मूल शेयर प्रमाणपत्र जो आपके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और खराब डिलीवरी होने के लिए समझा जाएंगे। 2. यदि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारण करते हैं: शेयर सीधे सीधे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की मदद से और आगे की सूचना के बिना स्थानांतरित हो जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ नियमों के अनुसार, दावा नहीं किए गए लाभांश के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा और आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरण करने पर, शेयरधारक एक ऑनलाइन आवेदन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश के साथ इक्विटी शेयरों का दावा कर सकते हैं, जिसके लिए विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध हैं। किसी भी प्रश्न / स्पष्टीकरण के मामले में, संबंधित शेयरधारक कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से उनके फोलियो नंबर / डीमैट खाता संख्या का हवाला देते हुए यहां संपर्क कर सकते हैं। कम्प्यूटेक शेयरकेप लिमिटेड, 147, महात्मा गांधी रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001, फोन नंबर 022-22635000 / 5001 ई-मेल:- helpdesk@computechsharecap.in,

स्थान : बांसवाड़ा
खारवाल (कंपनी सचिव)
दिनांक : 30 जून, 2018

कृते बांसवाड़ा सिन्टेक्स लिमिटेड
हस्ता/-
एच.पी.